न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या— 4/2024

वादीगण

1. बद्रीलाल पुत्र डुगरराम जाति लखारा निवासी गली नं. 1 अशोक कालोनी रामसागर जोधपुर जिला जोधपुर
2. दिनेश लखारा पुत्र डुगरराम जाति लखारा निवासी बाला तहसील बिलाडा
3. राजूराम पुत्र डुगरराम जाति लखारा निवासी गली नं. 1 अशोक कालोनी रामसागर जोधपुर जिला जोधपुर
4. श्रीमति सरोज पुत्री डुगरराम पत्नी धनराज जाति लखारा निवासी सेवकी कलां तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
5. श्रीमति सीतादेवी पत्नी डूगरराम जाति लखारा निवासी बाला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः—

6. श्रीमति कमला देवी पुत्री नरसिंहराम पत्नी नथमल जाति लखारा निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड शहर
7. श्रीमति रामेश्वरी पुत्री नरसिंहराम पत्नी सम्पतराम जाति लखारा निवासी बोरून्दा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
8. श्रीमति चुकादेवी पुत्री नरसिंहराम पत्नी ओमप्रकाश जाति लखारा निवासी बोरून्दा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
9. श्रीमति सोहनदेवी पुत्री नरसिंहराम पत्नी सीताराम जाति लखारा निवासी गली नं.1 अशोक कालोनी रामसागर जोधपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी सं. 5— सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः—** 27/11/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 1039/39 रकबा 0.5259 हैक्टयर, खसरा नंबर 1039/49 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नंबर 1039/67 रकबा 0.7686 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.7215 हैक्टयर आयी हुयी है। उपरोक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 4 के दादा व वादी सं. 5 के ससुर नरसिंहराम पुत्र हजारीराम का हक व

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हिस्सा था वाद पत्र 2 में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार वादीगण के पूर्वज नरसिंहराम पुत्र हजारीराम थे, उनका दावे के पद सं. 1 में वर्णित भूमि में हक व हिस्सा था। खातेदार नरसिंहराम पुत्र हजारीराम का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का राजस्व रेकर्ड में उनके एक पुत्र डुगरराम उर्फ भूण्डाराम तथा पत्नी पुसी देवी के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात डूगरराम उर्फ भूण्डाराम का देहान्त दिनांक 15.09.2021 को हो चुका है, खातेदार डूगरराम उर्फ भूण्डाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत नहीं किया गया है। खातेदार डुगरराम उर्फ भूण्डाराम के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी उसके तीन पुत्र वादी सं. 1 बद्रीलाल तथा वादी सं 2 दिनेश लखारा तथा वादी सं. 3 राजूराम एवं उसकी एक पुत्री वादी सं. 4 सरोज तथा उसकी पत्नी वादी सं. 5 श्रीमति सीतादेवी है इसके अलावा अन्य कोई वारिशान डुगरराम उर्फ भूण्डाराम के नहीं है। अतः वादीगण डूगरराम उर्फ भूण्डाराम के वारिसान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने का अधिकारी है। वादी सं. 1 से 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति को घर में लाड प्यार से भूण्डाराम पुकारते थे और वादी सं. 1 से 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति डूगरराम का सरकारी दस्तावेज में उसका नाम डूगरराम लिखा हुआ है। जब वादी सं. 1 से 4 के दादा व वादी सं. 5 के ससुर नरसिंहराम फौत हुये तब हल्का पटवारी ने भूलवश या त्रुटिवश उनका फौतेदगी नामान्तरकरण में वादी सं. 1 से 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति डूगरराम का नाम भूण्डाराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी सं. 1 से 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति डूगरराम का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम डूगरराम है।

अतः वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बाला तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 1039/39 रकबा 0.5259 हैक्टयर, खसरा नंबर 1039/49 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नंबर 1039/67 रकबा 0.7686 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.7215 हैक्टयर में दर्ज संयुक्त खातेदार भूण्डाराम पुत्र नरसिंह के स्थान पर वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावें। राजस्व रेकर्ड में घोषित भूमि का वादीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 4 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी स्वयं या अपने प्रतिनिधि में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला के खसरा नंबर 1039/39 रकबा 0.5259, खसरा नंबर 1039/49 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नंबर 1039/67 रकबा 0.7686 कुल रकबा 3.7215 हैक्टयर आई हुई है। जिसमें वादी सं. 1 से 4 के दादा व वादी 5 के ससुर नरसिंहराम पुत्र हजारीराम का हिस्सा था। वादीगण के पिता भूण्डाराम का नाम पहली बार राजस्व रेकर्ड में वादीगण के दादा नरसिंहराम पुत्र हजारीराम के देहान्त होने पर विरासत नामा. सं. 1192

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भरा जाने पर दर्ज हुआ। जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम से सरकारी दस्तोवज आधारकार्ड, राशनकार्ड, अंकतालिका इत्यादि प्रस्तुत कर नाम डुंगरराम होना बताया। वादीगण अपने पिता के नाम की दुरूस्ती भूण्डाराम के स्थान पर डूंगरराम करवाना चाहते है। पद सं. 5 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 6 से 8 का जवाब कानूनी है। वादी के पिता भूण्डाराम की मृत्यु दिनांक 15.09.2021 को हो चुकी है। अतः वादीगण 1 से 5 भूण्डाराम पुत्र नरसिंह के हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाना चाहते है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बाला की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1039/39 रकबा 0.5259, खसरा नंबर 1039/49 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नंबर 1039/67 रकबा 0.7686 कुल रकबा 3.7215 हैक्टयर में दर्ज संयुक्त खातेदार भूण्डाराम पुत्र नरसिंह के स्थान पर वादी अपनी खातेदारी घोषणा व पिता का नाम भूण्डाराम के स्थान पर डूंगरराम करवाना चाहते है। जिसमें भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा खण्डन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र दिनेश लखारा पुत्र डूंगरराम का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खसरा नंबर 1039/39, 1039/49, 1039/67 ग्राम बाला, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र डूंगरराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड डूंगरराम पुत्र नरसिंहराम, प्रदर्श 4 अंकतालिका दिनेश पुत्र डूंगरराम, प्रदर्श 5 ग्राम पंचायत बाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 मृत्यु प्रमाण पत्र डूंगरराम पुत्र नरसिंहराम, प्रदर्श 2 सरपंच ग्राम पंचायत बाला का प्रमाण पत्र, प्रदर्श 3 आधार कार्ड डूंगरराम पुत्र नरसिंहराम, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड डूगरराम पुत्र नरसिंहराम, प्रदर्श 5 आधार कार्ड बद्रीलाल पुत्र डूंगरराम, प्रदर्श 6 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका दिनेश लखारा पुत्र डूंगरराम, प्रदर्श 7 आधार कार्ड दिनेश लखारा पुत्र डूंगरराम, प्रदर्श 8 पैनकार्ड राजूराम पुत्र डूंगरराम, प्रदर्श 9 आधार कार्ड राजूराम पुत्र डूंगरराम, प्रदर्श 10 जनआधारकार्ड सीतादेवी आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण के पिता का नाम डूंगरराम पुत्र नरसिंहराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का नाम भूण्डाराम पुत्र नरसिंग के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का नाम डूंगरराम पुत्र नरसिंहराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने भूण्डाराम पुत्र नरसिंग के स्थान पर डूंगरराम पुत्र नरसिहराम किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बाला के खसरा नंबर 1039/39 रकबा 0.5259, खसरा नंबर 1039/49 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नंबर 1039/67 रकबा 0.7686 हैक्टयर में बतौर काश्तकार दर्ज वादीगण के पिता/पति के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि भूण्डाराम पुत्र नरसिंग को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ''डूंगरराम पुत्र नरसिहराम'' दर्ज करते हुये वादीगण के पिता/पति को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बिलाडा को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख को उपरोक्तानुसार अद्यतन किया जाकर मृतक खातेदार डूंगरराम पुत्र नरसिहराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा